



F- 07-08

F- 07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु- 560 037

**MARATHAHALLI COLONY P.O**

**BENGALURU -560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 596 का संशोधन सहित नवीकरण/**

**Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 596**

**विषय/Sub:सिलिकॉन बेस रबड़ काम्पाउंड वी के एस - 2001/**

**"Silicone Base Rubber Compound VKS - 2001"**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स वीके रबड़ प्रोडक्ट्स, मुंबई- 400 093, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "सिलिकॉन बेस रबड़ काम्पाउंड वी के एस-2001" को संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/117/6/2, दिनांक 09 मार्च 1990 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.:596 जारी किया गया था। तदुपरान्त संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 596/7आर, दिनांक 09 दिसंबर 2013 द्वारा सातवीं बार नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

*This is to state that the "Silicone Base Rubber Compound VKS - 2001", developed and manufactured by M/s Veekay Rubber Products, Mumbai - 400 093, was issued with Type Approval No.: 596 vide Reference No.: AERO/RD-132/117/6/2, dated: 09<sup>th</sup> March 1990. This approval was subsequently renewed 7<sup>th</sup> time vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-596/7R, dated: 09<sup>th</sup> December 2013 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2018** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसंबर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(कोरापुट), द्वारा एच ए एल (कोरापुट), सूनाबेडा - 763 002, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2023, unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), C/o HAL (Koraput), Sunabeda - 763 002, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/117/6/2, दिनांक 09 मार्च 1990 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाण पत्र के अनुच्छेद सात (07) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para Seven (07) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: AERO/RD-132/117/6/2, dated: 09<sup>th</sup> March 1990 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-596/8R

दिनांक / Date: 18 December 2018

फैक्ससं / .Fax No: 080-25230856

(पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

14/12/2018  
JR  
18/12